

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / ३६ /2020

दिनांक ०८.०१.२०२०

श्री कैलाश चन्द्र मिश्रा (RJ0289), विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ क्रम-०५, कोटा को दिनांक २१.११.२०१९ से २२.११.२०१९ तक ०२ दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक २३.११.२०१९ से २४.११.२०१९ के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री मिश्रा की अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ क्रम-०१, कोटा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ क्रम-०५, कोटा के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

[Signature]
०७-१-२०२०

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(४)/९२/१९९६/ १९५

दिनांक ०८.०१.२०२०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

१. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
२. विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ क्रम-०५, कोटा को उनके पत्रांक ३७९ दिनांक २५.११.२०१९ के सन्दर्भ में ।
३. श्री कैलाश चन्द्र मिश्रा (RJ0289), विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ क्रम-०५, कोटा ।
४. विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ क्रम-०१, कोटा ।

[Signature]
०८.१.२०२०

सहायक रजिस्ट्रार